



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जनक पुत्र रामलाल निवासी ग्राम बड़ागांव थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी के माता पिता की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु०अ०सं० 207/2018 (वाद संख्या - 169/2018) धारा 302 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.05.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जनक उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल हिदेश  
पाण्डेय



कोर्ट पैरोकार गौरव सिंह

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice